

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 2144/2026

धीरेन्द्र सिंह उर्फ दीपु सिंह

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:- जयकरण

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आवेदनकर्ता की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
3. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि गैंग चार्ट में आवेदनकर्ता के विरुद्ध दो ही मामले दर्शाए गए हैं। उक्त दो मामलों में से, एक मामले में आवेदनकर्ता को इस न्यायालय द्वारा दांडिक अपील संख्या 1687/2024 में जमानत प्राप्त हो चुकी है तथा दूसरे मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ता को दोषमुक्त किया जा चुका है। आदेशों की प्रतियां जमानत आवेदन के संलग्नक संख्या 3 और 4 के रूप में अभिलेख पर रखी जा रही हैं। उक्त मामले के अतिरिक्त, आवेदनकर्ता का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। सह-अभियुक्त योगेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 1995/2026 में पारित आदेश दिनांक 23.03.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 07.06.2019 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

4. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदनकर्ता को जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वे आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए; इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है; तथा आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, और यह देखते हुए कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ-पत्र के प्रस्तर 9 में उचित रूप से स्पष्ट किया गया है; पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों, आवेदक की जेल की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैंने यह पाया है कि आवेदनकर्ता को जमानत पर मुक्त करने हेतु यह एक उपयुक्त प्रकरण है।

7. यह आदेश दिया जाता है कि **आवेदनकर्ता- धीरेंद्र सिंह उर्फ दीपू सिंह**, जो थाना हरचंदपुर, जनपद रायबरेली के मुकदमा अपराध संख्या 193/2019 (उपरोक्त) के अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबद्ध है, को संबंधित न्यायालय के संतोषानुरूप एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। न्याय हित में निम्नवत शर्तें अधिरोपित की जाती हैं:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत उन तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(iv) आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार इस आशय का एक वचनबंध भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी (अन्य) मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(vi) कोई अन्य शर्त जो विचारण न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे, वह भी अधिरोपित की जा सकती है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन *स्वीकृत* किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”